

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 4 OF GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12-2-2002

NOTIFICATION

SRO 50 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules 2000, namely:

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 6, of the Defence Research and Development Organisation Technical Cadre Recruitment Rules, 2000 in sub rule (1), the following shall be added, namely:-

“ Before granting such relaxation, the competent authority shall record the reasons in writing. The competent authority for this purpose will be the Chairperson of the Local Assessment Board as mentioned in Schedule IV in respect of posts filled through it and Director, PEACE (Personnel Assessment Centre) in respect of posts filled through Central Assessment Board as mentioned in Schedule V”.

(Rosy Sharma)
Deputy Secretary to Govt. of India

F.No. DMPD/76237/RR/DRTC/P/M/01

Foot Note: The principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India Part II, section IV vide SRO.296 dated 05 Dec 2000.

Publish

(Rosy Sharma)
Deputy Secretary to Govt. of India

D(Coord)

Min of Def I.D. No. DMPD/76237/RR/DRTC/P/M/01/ 518 D(R&D).

Dated : 12 - 2 - 2002

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख.....12..... फरवरी, 2002

अधिसूचना

का. नि.आ.....5..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसंधान और विकास संगठन तकनीकी काडर भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भर्ती नियम, 2000 के नियम 6 के उप नियम

(1) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“ ऐसी छूट देने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी कारणों को अभिलिखित करेगा। सक्षम प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए उसकी मार्फत् भरे गए पदों की बाबत अनुसूची 4 में यथा उल्लिखित स्थानीय निर्धारण बोर्ड का अध्यक्ष होगा और अनुसूची 5 में यथा उल्लिखित केन्द्रीय निर्धारण बोर्ड की मार्फत् भरे गए पदों की बाबत कार्मिक मूल्यांकन केन्द्र का निदेशक होगा। ”

(रोज़ी शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

क्रा. सं. डीएमपीडी/76237 /आर आर/डी आर टी सी/पी/एम/01

पाद टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग-II, खंड 4 में का. नि.आ.296 तारीख 5 दिसंबर, 2000 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

प्रकाशनार्थ

रोज़ी शर्मा

(रोज़ी शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

डी(समन्वय)

(क्रा. सं. डीएमपीडी/76237 /आर आर/डी आर टी सी/पी/एम/01/ 518 / (डी आर एण्ड डी) 12 फरवरी, 2002.